## न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 94/2021

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| जय सिंह पुत्र कानसिंह निवासी–<br>भाटीखेडा, तहसील सिवाना<br>जिला– बाडमेर। | | 1. दौलतसिंह<br>2. शम्भूसिंह पुत्रान लालसिंह निवासी<br>भाटीखेडा, तहसील सिवाना<br>जिला– बाडमेर।<br>3. राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार, सिवाना, बाडमेर। |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 11.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व प्रा0पत्र संख्या /2021 अनवान तहसीलदार, सिवाना बनाम जयसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः––

1. श्री मोतीसिंह अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

दिनांकः16 अगस्त,2021

1. उपरोक्त अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2021 के विरूद्व अपील दिनांक13.08.2021 को प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण रहे है। अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस सुनी।

2. दौरान सुनवाई अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार सिवाना की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम भाटी खेडा में ख0सं 1140/375, 1142/376 रकबा 0.2276 व 0.0885 हैक्टयर बालोतरा डामर सडक से तोबेश्वर महादेव मंदिर तक चालू स्थाई सार्व0 रास्ते जो मौके पर है, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी व नक्शें में अंकन नहीं है जो किया जावें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, सिवाना ने दिनांक 11.08.2021 को आदेश जारी कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शानुसार तरमीम के आदेश पारित कर दिये।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मौके पर कोई रास्ता विघमान नहीं है इसके बावजूद भी ख0सं0 1140/375 व 1142/376 में रास्ता दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और बिना सुनवाई के ही आदेश जारी कर दिया। अपीलान्ट ने किसी प्रकार की सहमति ख0सं 375 व 376 में से दिये जाने की कोई सहमति नहीं दी एवं सहमति के ही एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट भी रास्ता दर्ज करने से पूर्व नहीं बनवाई, तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन भी नहीं किया इस प्रकार की कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है।

16/8/2021

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दिनांक 10.8.21 को पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तामीली हेतु नियत थी एवं अपीलान्ट उपस्थित हुए एवं जबाव प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कोई अवसर उपलब्ध नहीं करवाया और दिनांक 12.8.21 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 12.8.21 को जबाव पेश करने हेतु अवसर चाहा साथ ही वर्णित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विविध वाद संख्या 85/2021 अनवान दौलतसिंह बनाम चैनसिह वगैराह में ख0सं0 1142/376 रकबा 0.0885 हैक्टर भूमि के साथ अन्य खसरा भूमि पर दिनांक 26.7.2021 को स्थगन आदेश जारी हुआ जो दिनांक 13.8.2021 तक जारी किया हुआ है, अधिनस्थ न्यायालय ने इसका अवलोकन भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त धारा 136 राज0 भू राजस्व अधि0 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है एवं भूमि का प्रकृति यानि किस्म में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश में किसी भी खातेदार द्वारा रास्ता नहीं मांगा गया है व मंदिर पर जाने के लिये पहले से ही कदीमी से अलग–अलग चार रास्ते पर मौके पर कायम है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी भूमि जो कि बारानी दोयम है, उसको 136 धारा के तहत गैर मुमकीन रास्ता के दर्ज कर दी है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें रेस्पो0 सं0 3 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत पेश कर ग्राम भाटी खेडा में ख0सं 1140/375, 1142/376 रकबा 0.2276 व 0.0885 हैक्टयर बालोतरा डामर सडक से तोबेश्वर महादेव मंदिर तक चालू स्थाई सार्व0 रास्ते जो मौके पर है, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी व नक्शें में अंकन नहीं होना बताते हुए अंकन करने का निवेदन करने पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.08.2021 को आदेश जारी करते हुए उस अनुसारं नक्शा में तरमीम के आदेश पारित कर दिये। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हें अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है जबकि रास्ता तरमीम वाली उक्त भूमि उनकी खातेदारी की है, इसके अतिरिक्त उसी अदालत से ख0सं0 1142/375 रकबा 0.0885 हैक्टर भूमि बाबत स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है जो दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के उपरोक्त ऑब्जर्वेशन पर विचार करने तत्पश्चात विधि अनुरूप नये सिरे से आदेश जारी किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2021 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित किया जाकर उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अपील में वर्णित खसरान भूमि सम्बन्धी प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को पक्ष रखने/सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये जाने एवं पारित स्थगन आदेश के दृष्टिगत पुनः नये सिरे से विधि अनुरूप आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/8/2021

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर